का॰ज्ञा॰ सं॰ II/20015/64/89 रा.भा. (क-2), दिनांक 11.1.1990

विषय:— हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन एवं बैठकों के बारे में।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों की व्यवस्था की गई। इन समितियों के अध्यक्ष संबंधित मंत्री होते हैं और उनका गठन केन्द्रीय हिन्दी समिति (जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं) सिफारिश के आधार पर बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। हिन्दी सलाहकार समिति के विभिन्न पहलुओं, कार्यों एवं गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या एवं नामांकन के बारे में इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं॰-11/20015/45/87-रा॰भा॰ (क-2) दिनांक 11/15 मार्च, 1988 में विस्तृत रूप से सभी मंत्रालयों/विभागों को जानकारी दी गई थी। हिन्दी सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के बारे में स्पष्टीकरण इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 4 मई, 1989 के द्वारा भी सभी मंत्रालयों/विभागों को दिया गया था जिसकी एक प्रति तुरंत संदर्भ के लिए संलग्न की जाती है।

2. जैसा कि मंत्रालयों/विभागों को ज्ञात है, नवीं लोक सभा का गठन हो चुका है। फलत: आवश्यकतानुसार हिन्दी सलाहकार समितियों में नई लोक सभा के दो सदस्यों को नामित करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि जिन मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है या वे अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन करना चाहते हैं तो इस संबंध में शीघ्र ही समिति का गठन संबंधी प्रस्ताव राजभाषा विभाग की औपचारिक सहमति के लिए भेजने की कार्रवाई करें। मंत्रालयों/विभागों से यह भी आग्रह है कि हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन के बारे में राजभाषा विभाग से पूर्व परामर्श कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि परामर्श संबंधित मंत्रालय/विभाग के मंत्री के अंतिम आदेश लेने से पहले किया जाए।

3. जैसा कि मंत्रालय/विभाग जानते ही हैं कि हिन्दी सलाहकार समितियों की साल में कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए यानि 3 महीनों में एक बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि इन समितियों का गठन/पुनर्गठन यथाशीघ्र कर लिया जाए।

4. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती तुरन्त भेजने का कष्ट करें।